1.	विभाग	ग्राम्य विकास
2.	योजना का नाम –	दीन दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थायी संस्थायें बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है। जिससे उनकी गरीबी कम हो एवं जिसके नतीजतन उनकी जीवन शैली में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो। **समूह को दी जाने वाली सुविधायें** समूह गठन होने के तीन माह से चार माह के मध्य समूह द्वारा पंचसूत्र का पालन करने पर रू0 पन्द्रह हजार रिवाल्विंग फण्ड । प्रथम वर्ष में प्रथम डोज के रूप में रू0 एक लाख ऋण की सुविधा । द्वितीय वर्ष में द्वितीय डोज के रूप में रू0 दो लाख ऋण की सुविधा । तृतीय वर्ष में तृतीय डोज के रूप में रू0 तीन लाख ऋण की सुविधा । चतुर्थ वर्ष में चतुर्थ डोज रू0 5 लाख समूह द्वारा तैयार किये गये माईक्रोप्लान के आधार पर देय होता है । बैक द्वारा दी गयी 3 लाख की ऋण सीमा तक मात्र 7 प्रतिशत व्याज समूह द्वारा देय होता है । व्याज की शेष धनराशि इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में सरकार द्वारा देय होता है ।
4.	पात्रता की अर्हता–	• समूह के सभी सदस्य महिलायें होगीं । • समूह के सदस्यो का चयन एस0ई0सी0सी0 आंकड़ों (Auto included house hold and atleast one deprivation house hold) के आधार पर किया जाता है। • या सहभागिता के साथ गरीबो की पहचान –पी.आई.पी. (Participatory Identification of Poor process) प्रकिया से भी किया गया हो। (सहभागिता के साथ गरीबो की पहचान–पी.आई.पी. (Participatory Identification of Poor process)प्रकिया के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवारो की सूची ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित हो एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया हो।
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	स्वयं सहायता समूह का गठन ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
6.	लिंक वेबसाईड	http://rd.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद के परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 से सम्पर्क किया जा सकता है ।